न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
806/2024 वादपत्र	30.12.2024	02.7.2025

उनवान

1. बालु सिंह पुत्र श्री नाथुसिंह राजपूत, निवासी हासियास तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. भैरू सिंह पुत्र श्री नाथु सिंह राजपूत, निवासी हासियास तहसील व जिला भीलवाडा।

—— वादीगण।

बनाम

1. श्री रामसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत, निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती कमलेश कवंर पत्नी जितेन्द्र सिंह चुण्डावत, निंवासी सुवावा जिला चित्तौडगढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र घौषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89, 188—92क आर0टी0ए
में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादीगण श्री मनीष कांटिया, उपस्थित।

2—अधिवक्ता प्रति. सं0 01 व 02 की और से श्री कुलदीप सिंह पुरावत उपस्थित।

3— प्रतिवादी संख्या 03 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रस्तुत वाद घौषणा इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है जिसमें वादीगण ने अपने पक्ष में दिनांक 15 सितम्बर 1997 को निष्पादित अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2024 को वादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले अवैध व शून्य, निष्प्रभावी होकर वादीगण उक्त विक्रय पत्र को अवैध, शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वाईड) घोषित कराये जाने का अनुतोष चाहा गया किन्तु अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र पूर्ण मुद्राक पर निष्पादित नही हुआ है. जिससे अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र की पालना करवाने का अधिकार क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है, जिससे इस वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारीज होने लायक है। वादीगण अपने वाद पत्र में वादीगण पक्ष में निष्पादित अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2024 को वादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले अवैध व शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वोईड) घौषित कराये वोईड) घौषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है, वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारीज होने लायक है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वादीगण ने मृतक सज्जन कंवर के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर. उस पर बनावटी हस्ताक्षर कर, फर्जी स्टाम्प तैयार किया है, जिसके आधार पर वादीगण को किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त होने वाला नही है, वाद पत्र बार्ड वाई लों होने से खारीज होने लायक है। वाद में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 राज्य सरकार होने से आवश्यक पक्षकार मानकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का 02 माह का नोटिस दिया जाने के पश्चात् वाद प्रस्तुत करना चाहिऐ था किन्तु वादीगण ने राज्य सरकार को बिना नोटिस दिये ही यह वाद प्रस्तुत किया है, नोटिस के अभाव में वाद पत्र खारीज होने लायक है। प्रस्तुत वाद की चरण संख्या 14 में वाद हेतुक जो दिनांक अंकित है, उस दिनांक को क्या–क्या हुआ, कोई विवरण नही है. वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र की चरण संख्या 14 में अंकित दिनांक को या अन्य किसी भी दिनांक को वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ, वाद हेतुक के अभाव में वाद पत्र खारीज होने लायक है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा०दी० व धारा 151 जा०दी० का स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र को खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरार के आधार पर खातेदारी हक अधिकार चाहा गया है, व वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर खातेदारी हक अधिकार की घौषणा चाही है। उक्त वादपत्र न्यायालय आप के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से. विधिवत जांच पड़ताल कर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया है। वादपत्र किसी प्रकार से खारीज होने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 का प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। वादीगण द्वारा विकयपत्र को अवैध व शून्य घौषित कराने हेतु पेश किया है, राजस्व न्यायालय को विक्रयपत्र अवैध व शून्य घौषित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। प्रतिवादी ने गलत तथ्यो पर प्रार्थनापत्र पेश किया है. जो खारीज होने योग्य है। वादीगण ने फर्जी दस्तावेज तैयार नही किये, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी आधार के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नामान्तरणकरण खुलवाया है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से वाद को विचारणार्थ ग्रहण हेतु धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसे स्वीकार कर वाद विचारणार्थग्रण कर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हैतुक उत्पन्न हुआ है, जो वाद मे वर्णित है। अंत मे प्रतिवादीगण ने जो प्रार्थना दर्ज की है, जो गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा जिन आधारो पर जो प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो आदेश 07 नियम 11 जा०दी० की परिधि मे नहीं आता है व प्रतिवादीगण द्वारा जिन उजरो पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो उजर प्रतिवादीगण अपने प्रकरण के जवाब दावे मे भी उठा सकता है व उक्त आधारो पर विवाद्यक कायम हो दोनो पक्षो की साक्ष्य से ही प्रकरण का निस्तारण हो सकता है। इस कारण से उक्त प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही कर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया हे, जो खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा०दी० व सपठित धारा 151 जा०दी० पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है जिसमें वादीगण ने अपने पक्ष में दिनांक 15 सितम्बर 1997 को निष्पादित अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2024 को वादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले अवैध व शून्य, निष्प्रभावी होकर वादीगण उक्त विक्रय पत्र को अवैध, शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वाईड) घोषित कराये जाने का अनुतोष चाहा गया किन्तु अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र पूर्ण मुद्राक पर निष्पादित नही हुआ है. जिससे अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र की पालना करवाने का अधिकार क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है, जिससे इस वाद पत्र कमल की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारीज होने लायक है। वादीगण अपने वाद पत्र में वादीगण पक्ष में निष्पादित अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2024 को वादीगण के हक अधिकारो के मुकाबले अवैध व शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वोईड) घौषित कराये वोईड) घौषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है, वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारीज होने लायक है।

वादीगण ने मृतक सज्जन कंवर के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर. उस पर बनावटी हस्ताक्षर कर, फर्जी स्टाम्प तैयार किया है, जिसके आधार पर वादीगण को किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त होने वाला नही है, वाद पत्र बार्ड वाई लों होने से खारीज होने लायक है। वाद में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 राज्य सरकार होने से आवश्यक पक्षकार मानकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का 02 माह का नोटिस दिया जाने के पश्चात् वाद प्रस्तुत करना चाहिऐ था किन्तु वादीगण ने राज्य सरकार को बिना नोटिस दिये ही यह वाद प्रस्तुत किया है, नोटिस के अभाव में वाद पत्र खारीज होने लायक है। प्रस्तुत वाद की चरण संख्या 14 में वाद हेतुक जो दिनांक अंकित है, उस दिनांक को क्या–क्या हुआ, कोई विवरण नही है. वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र की चरण संख्या 14 में अंकित दिनांक को या अन्य किसी भी दिनांक को वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ, वाद हेतुक के अभाव में वाद पत्र खारीज होने लायक है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा०दी० व धारा 151 जा०दी० का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को खारीज कराया जावें।

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरार के आधार पर खातेदारी हक अधिकारी चाहा गया है, व वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर खातेदारी हक अधिकार की घोषणा चाही है। उक्त वादपत्र न्यायालय आप के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से. विधिवत जांच पड़ताल कर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया है। वादपत्र किसी प्रकार से खारीज होने योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 का प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। वादीगण द्वारा अभियपत्र को अवैध व शून्य घोषित कराने हेतु पेश किया है, राजस्व न्यायालय को अभियपत्र अवैध व शून्य घोषित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। प्रतिवादी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थनापत्र पेश किया है. जो खारीज होने योग्य है। वादीगण ने फर्जी दस्तावेज तैयार नही किये, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी आधार के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नामान्तरणकरण खुलवाया है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से वाद को विचारणार्थ ग्रहण हेतु धारा 80 (2) जा0दी0 का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसे स्वीकार कर वाद विचारणार्थग्रण कर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हैतुक उत्पन्न हुआ है, जो वाद मे वर्णित है। अंत मे प्रतिवादीगण ने जो प्रार्थना दर्ज की है, जो गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण द्वारा जिन आधारो पर जो प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नहीं आता है व प्रतिवादीगण द्वारा जिन उजरो पर उक्तप्रार्थनापत्र पेश किया है, जो उजर प्रतिवादीगण अपने प्रकरण के जवाब दावे मे भी उठा सकता है व उक्त आधारो पर विवाद्यक कायम हो दोनो पक्षो की साक्ष्य से ही प्रकरण का निस्तारण हो सकता है। इस कारण से उक्तप्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही कर उक्तप्रार्थनापत्र पेश किया हे, जो खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का जवाब स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज कराया जावें।

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया।

ग्राम हांसियास तहसील भीलवाडा भूमि के आराजी नम्बर 63/8 रकबा 21–05 बीघा भूमि सज्जन कवंर बेवा तेज सिंह राजपूत सा0 पीपली के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी। 04 बीघा दान कर दी 17–05 बीघा भूमि बालू सिंह, भैरू सिंह पिता नाथु सिंह राजपूत निवासी हांसियास को विक्रय इकरार पत्र दिनांक 15.09.1997 में सज्जन कवंर द्वारा प्रतिफल 1,38,000 /– रूपये प्राप्त करके अनरजिस्टर्ड विक्रय कर दी गयी। 100 /– से अधिक के प्रतिफल के ईकरार का पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन अधिनियम की उल्लघंना की गई है। जमाबन्दी सम्वत 2078–79 में आराजी नम्बर 63/8 सज्जन कवंर के नाम दर्ज थी। जो विरासत नामान्तकरण संख्या 737 दिनांक 11.09.2024 से रामसिंह पिता तेजसिंह राजपूत सा0 पीपली के नाम दर्ज हुयी रामसिंह ने आराजी नम्बर 63/8 कमलेश कवंर पत्नी जितेन्द्र सिंह चुण्डावत निवासी सुवावा को विक्रय कर दी जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2076–2079 में नामान्तकरण संख्या 744 दिनांक 11.12.2024 में दर्ज हो चुकी है। वादीगण बालू सिंह, भैरू सिंह ने इकरार पत्र दिनांक 15.09.1997 अनरजिस्टर्ड के आधार पर वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–क व 188 आर0टी0ए0 का प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत कर दिया।

वादग्रस्त ग्राम हासियांस तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 63/8 रकबा 17–05 बीघा भूमि सज्जन कवंर, तेजसिंह राजपूत के नाम से विरासत द्वारा रामसिंह पिता गिरधारी सिंह निवासी पीपली के नाम नामान्तकरण संख्या 737 दिनांक 11.09.2024 से दर्ज हो चुकी है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 737 की अपील पृथक से प्रस्तुत कर रखी है, नामान्तकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसेडिंग है इससे किसी के हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 01 ने आराजी नम्बर 63/8 को प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11.12.2024 से विक्रय कर दी इस इकरार पत्र के विरूद्ध वादीगण को सिविल न्यायालय से चाराजोही (दाद हासिल) करना चाहिये। इस प्रकार वादीगण को अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरार पत्र दिनांक 15.09.1997 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में प्रतिवादी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टांत **आर0आर0टी0 2019(1) पेज संख्या 01 से 07** प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:: आदेश ::—

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है कि वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से एवं वादीगण का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करें, तद्नुसार डिक्री जारी करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 806/2024 वादपत्र

दायर दिनांक 30.12.2024

निर्णय दिनांक 9/7/2025

उनवान

1. बालु सिंह पुत्र श्री नाथुसिंह राजपूत, निवासी हासियास तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. भैरू सिंह पुत्र श्री नाथु सिंह राजपूत, निवासी हासियास तहसील व जिला भीलवाडा।

–– वादीगण

बनाम

1. श्री रामसिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत, नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती कमलेश कवंर पत्नी जितेन्द्र सिंह चुण्डावत, निवासी सुवावा जिला चित्तौडगढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादीगण श्री मनीष कांटिया, उपस्थित।

2–अधिवक्ता प्रति. सं0 01 व 02 की और से श्री कुलदीप सिंह पुरावत उपस्थित।

3– प्रतिवादी संख्या 03 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

वादपत्र घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188–92क आर0टी0ए
में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

वादी की और से अधिवक्ता श्री मनीष कांटिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से श्री कुलदीप सिंह पुरावत उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 9/7/25 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्ति डिक्री दी जाती है :–

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है कि वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से एवं वादीगण का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारि किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें, तदनुसार डिक्री जारी करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा